न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 182 / 2020

प्रार्थी बनाम

तहसीलदार बाडमेर

अप्रार्थीगण

श्री रतनाराम, श्री अचलाराम, श्री मूलाराम पिसरान अमराराम श्रीमती गवरी पत्नी अमराराम जाति जाट निवासी सरली कलां तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 68 RLA Act.

उपस्थिति :– 1. पैरोकार सरकार।

आदेश

दिनांक 12.01.21

प्रार्थी तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि डिजिटल इण्डिया लेण्ड रिकॉर्ड मॉर्डनाईजेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत ग्राम ग्राम सरली कलां पटवार मण्डल सरली तहसील व जिला बाडमेर की जमाबन्दी के सेग्रीगेशन एवं हिस्सा दुरूस्ती करते वक्त अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के मूल खाता संख्या 175 में से खसरा संख्या 670 / 175 व 672 / 175 कुल रकबा 36.05 बीघा भूमि का ऐकीकरण कर खातेदारान श्री रतनाराम, श्री अचलाराम, श्री मूलाराम पिसरान अमराराम श्रीमती गवरी पत्नी अमराराम जाति जाट निवासी सरली कलां तहसील व जिला बाडमेर के हिस्से में ही दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध ईकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है।

प्रार्थी तहसीलदार बाडमेर की बहस सुनी गई। प्रार्थी तहसीलदार बाडमेर ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि डिजिटल इण्डिया लेण्ड रिकॉर्ड मॉर्डनाईजेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत ग्राम ग्राम सरली कलां पटवार मण्डल सरली तहसील व जिला बाडमेर की जमाबन्दी के सेग्रीगेशन एवं हिस्सा दुरूस्ती करते वक्त अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के मूल खाता संख्या 175 में से खसरा संख्या 670 / 175 व 672 / 175 कुल रकबा 36.05 बीघा भूमि का ऐकीकरण कर अप्रार्थीगण खातेदारान के हिस्से में ही दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम ग्राम सरली कलां पटवार मण्डल सरली तहसील व जिला बाडमेर की जमाबन्दी के सेग्रीगेशन एवं हिस्सा दुरूस्ती करते वक्त आपकी खातेदारी भूमि के मूल खाता संख्या 175 में से खसरा संख्या 670 / 175 व 672 / 175 कुल रकबा 36.05 बीघा का ऐकीकरण कर तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तावित एकीकृत खसरा संख्या 670 / 175 रकबा 36.05 बीघा भूमि अप्रार्थीगण खातेदारान के नाम ऐकीकरण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 12:06:26 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

अतः उपर्युक्त विवेचनोपरान्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर डिजिटल इण्डिया लेण्ड रिकॉर्ड मॉर्डनाईजेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत ग्राम सरली कलां पटवार मण्डल सरली तहसील व जिला बाडमेर की जमाबन्दी के सेग्रीगेशन एवं हिस्सा दुरूस्ती करते वक्त अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के मूल खाता संख्या 175 में से खसरा संख्या 670/175 व 672/175 कुल रकबा 36.05 बीघा का ऐकीकरण कर तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तावित एकीकृत खसरा संख्या 670/175 रकबा 36.05 बीघा भूमि खातेदार श्री रतनाराम, श्री अचलाराम, श्री मूलाराम पिसरान अमराराम श्रीमती गवरी पत्नी अमराराम जाति जाट निवासी सरली कलां तहसील व जिला बाडमेर के नाम अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार राजस्व अभिलेख व लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करें।

यह आज तारीख 12.01.21 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 12/01/21 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 12:05:26 IST
Reason: SelfAttested